प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

प्र.सं. 70/2010 अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम
राजेन्द्र कुमार बनाम सरकार
जीसीएनएस : 2019/00326

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
05.01.2022	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्रा.पं. ठाकरी में पेश हुई। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर दिनांक 05.01.2022 पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी के नाम से चक 29 पीएस ए की जमाबंदी संवत 2074–2077 खाता सं. 81 में प.नं. 224/292 के मु.नं. 14 में 0.0443है. भूमि में से 1/4 हिस्सा व चक 45 पीएस जमाबंदी संवत 2076–2079 के खाता सं. 108 के प.नं. 220/300 मु.नं. 7 के 0.880है. भूमि में 1/4 हिस्सा खातेदारी हैं। प्रार्थी के पिता का देहान्त हुआ तब प्रार्थी को घर में छोटा नाम नराजू से पुकारते थे इसलिए वारिस प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम राजू लिख दिया इसी अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व कागजात में राजू दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार हैं। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज़ में नाम राजेन्द्र कुमार दर्ज हैं। राजस्व दस्तेवेजों में नाम दुरूस्त करवाना आवश्यक हैं। अतः चक राजस्व रिकार्ड से राजू पुत्र पदमगिर का नाम विलोपित कर राजेन्द्र कुमार पुत्र पदमगिर नाम दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट ली गयी। आज शिविर में तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा पटवारी हल्का से प्रकरण की जांच करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजू व राजेन्द्र कुमार एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। राजू के बजाय राजेन्द्र कुमार किया जाना उचित हैं। अतः रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 29 पीएसए संवत 2074–77 खाता सं. 81 के मु.नं. 14 की 0.443है. नहरी एंव चक 45 पीएस संवत 2076–79 के खाता सं. 108 के मु.नं. 7 की 1.550है. बारानी/नहरी मय खाला भूमि उपरोक्त दोनों चकों के दोनों खातों में राजू पुत्र पदमगिर के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र पदमगिर की दुरूस्ती कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 05.01.2022 को लिखाया जाकर मजमा–ए–आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प – ठाकरी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested